संख्या 3967 /II–2008–03(18)/08

प्रेषक,

अजय सिंह नबियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 17 दिसम्बर, 2008

विषय : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अयोजनागत मदों में धनावंटन–सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3113/मु0अ0वि0/बजट/वी–1 सामान्य दिनांक 14.07.08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसंधान एवं सर्वेक्षण कार्य के लिए वर्ष 2008–09 में अयोजनागत मद में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत कुल रूपये 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की भी राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2– उपरोक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग केवल चालू कार्यों के लिए ही किया जायेगा । यदि कोई नया कार्य किया जाना हो तो व्यय से पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए ।

3– धनराशि व्यय किये जाने के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर जारी आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और जहां कहीं आवश्यक हो व्यय से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए ।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अयोजनागत मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80–सामान्य 00–आयोजनागत 005–सर्वेक्षण एवं अनुसधान 03–निर्माण कार्य 42–अन्य व्यय के अन्तर्गत सुसगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 974/XXVII(2)/2008 दिनांक 11.12.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अजय सिंह नबियाल)
अपर सचिव

संख्या 3967 /II–2008–03(18)/08, तद्दिनांक 19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ।
2. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मन्त्री जी को मा0 मन्त्री जी के सूचनार्थ ।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी नैनीताल/हल्द्वानी ।
4. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन ।
5. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
6. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
7. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0पोटोलिया)
संयुक्त सचिव